

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9236/2026
CNR: RJHC010664292026 | URN: CRLMB / 20089U / 2026

Sujana Ram Alias Suja Ram S/o Hari Ram @ Haru Ram, Aged About 28 Years, R/o Pabuberi, Karatia, Sonari, Police Station Sedwa, District Barmer. (At Present Lodged In District Jail Jalore)

-----Petitioner

Versus

- State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor
- Sugni Devi W/o Rawta Ram, R/o Nayawas Meghawa, Police Station Chitalwana, District Jalore.

-----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Dinesh Vishnoi
For Respondent(s) : Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/07/2026

- विद्वान लोक अभियोजक ने रिपोर्ट पेश कर तामील पूर्ण होना बताया। बावजूद तामील, मुस्तगीस की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
- प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना चितलवाना, जिला जालौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 59/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 64(1), 351(3), 332(बी) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 व 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
- बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
- प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है। पीड़िता लगभग 18 वर्ष की है। पीड़िता के बयान के मुताबिक वह शादीशुदा है और उसके पति व ससुर को वीडियो वायरल कर देना बताया है परंतु पुलिस द्वारा ऐसा कोई फोटो या वीडियो रिकवर नहीं किया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त पर आई.टी. एक्ट का कोई आरोप नहीं है। कॉल डिटेल से स्पष्ट है कि पीड़िता व प्रार्थी-अभियुक्त के मध्य मोबाईल से लगातार बातचीत होती रही है। प्रार्थी-अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 08.05.

2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

06. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रार्थी-अभियुक्त व पीड़िता के मध्य काफी मर्तबा बातचीत होने के संबंध में पुलिस द्वारा रिकॉर्ड पेश किया गया है। पीड़िता ने भी अपने बयान में प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा काफी समय से बलात्कार किये जाने का आरोप लगाया है। प्रार्थी-अभियुक्त के खिलाफ आई.टी. एक्ट का आरोप नहीं है। प्रार्थी-अभियुक्त का फोन जब्त कर एफ.एस.एल. में नहीं भेजा जाना दौराने बहस विद्वान लोक अभियोजक द्वारा स्वीकार किया गया है।

07. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

08. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **सुजाणाराम उर्फ सुजाराम पुत्र हरिराम उर्फ हरुराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J